प्रकाशन का 40 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक - 41 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 10 - 24 अक्तूबर 2016 मूल्य पांच रूपए

क्या वीरभद्र के मांग पत्र का परिणाम है 72 हजार करोड़ का हिसाब मांगा जाना

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह अपने खिलाफ चल रही सीबीआई और ईडी जांच के लिये पूर्व मुख्य मन्त्री प्रेम कुमार धूमल, उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर तथा मोदी के वित्त मंत्री अरूण जेटली को लगातार कोसते आ रहे हैं। ऐसे में जब मोदी तीन जल विद्युत परियोजनाओं के लोकार्पण के लिये प्रदेश में आये तो यह स्वाभाविक था कि वह वीरभद्र के प्रति अक्रामकता अपनाते और उनके भ्रष्टाचार को एक बार फिर जनता के बीच उछालते। क्योंकि भाजपा के लिये चुनावी माहौल बनाने के लिये यह आवश्यक भी था और मोदी ने ऐसा किया भी। मोदी ने बिना नाम लिये वीरभद्र के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा और साथ ही राज्य सरकार से 72 हजार करोड़ का हिसाब भी मांग लिया लेकिन वीरभद्र-मोदी और प्रदेश भाजपा नेतृत्व की इस चाल को पहले ही भांप चुके थे। इसी लिये लोकार्पण के अवसर पर वह मोदी के साथ रहे और उन्हें एक लम्बा चौड़ा मांग पत्र भी थमा दिया। अब वीरभद्र का मांग पत्र और मोदी द्वारा 72 हजार करोड़ का हिसाब मांगा जाना दोनो बराबर के मुद्दे हैं। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इन मुद्दों को कौन कितना समझता और उछालता है।

हिमाचल जैसे प्रदेश को 72 करोड़ केन्द्र द्वारा दिया जाना एक बहुत बड़ी बात हैं इस रकम के खर्चे का हिसाब मांगा जाना भी स्वाभाविक और आवश्यक है। लेकिन इस हिसाब -किताब के बीच वीरभद्र ने मांग पत्र का जो तीर छोड़ा है उससे बचना प्रदेश भाजपा के लिये आसान नही होगा। इस मांग पत्र का समर्थन करना भाजपा के लिये एक कड़ी परीक्षा सिद्ध होगा। मांगपत्र के अनुसार यह मुद्दे उठाये गये हैं।

1. 1000 करोड़ की विशेष श्रृतिपूर्ति अनुदान: अर्न्तराष्ट्रीय पर्यावरणीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की अनुपालना के तहत सारे पर्वतीय क्षेत्रों में हरित कटान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ हैं इस प्रतिबन्ध के कारण इन क्षेत्रों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस नुकसान की प्रतिपूर्ति के आंकलन के लिये एक समय योजना आयोग ने वी के चुतवेर्दी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने सिफारिश की थी कि सकल बजटीय सहयोग का दो प्रतिशत इन प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष अनुदान दिया जाये। लेकिन इस कमेटी की सिफारिशों पर अब तक अमल नही हो सका है और अब वीरभद्र ने इस संद्धर्भ में मोदी से एक हजार करोड़ के विशेष अनुदान की मांग कर डाली है।

2. जल विद्युत परियोजनाओं को त्वरित प्रभाव से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाये। वीरभद्र के मांगपत्र के अनुसार हिमाचल प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्र के 33% में वन क्षेत्र होन की शर्त को पूरा करता है। इस लिये प्रदेश की सभी लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृतियां तुरन्त प्रभाव से प्रदान की जायें ।

3. शिमला हवाई अड्डे से व्यवसायिक उड़ाने शुरू की जाये। शिमला ही एक मात्र ऐसा राजधानी शहर है जहां कोई भी हवाई सुविधा नही हैं अब यहां पर अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का भी स्तरोन्यन किया गया है। इसलिये यहां से व्यवसायिक उड़ाने शीघ्र शुरू की जानी चाहिये।

4. सतलुज जल विद्युत निगम के पास फालतू बड़ी भूमि को राज्य सरकार को वापिस किया जाये। 1980 के दशक में इस निगम को कार्यालय एंव आवास कॉलोनी के निमार्ण के लिये जमीन दी गयी थी जो कि अब तक अनुपयोगी पड़ी हुई हैं और सरप्लस है। इसे राज्य सकरार को वापिस किया जाये ताकि इसे इंजीनियरिंग कॉलिज की स्थापना के लिये इस्तेमाल किया जा सके।

मोदी की रैली में

5. भाखंड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड में पूर्ण कालिक सदस्य का दर्जा दिया जाये। क्योंकि भाखंड़ा परियोजना के कारण 103425 एकड़ और व्यास परियोजना के कारण डैहर तथा पौंग बांध में 65563 एकड़ प्रदेश की कृषि भूमि जलमग्न हुई है। इसके अतिरिक्त 16 अगस्त 1983 को पत्र व्यवहार के दिशा निर्देशानुसार 19/20 जनवरी 1987 को हुई बोर्ड की 124वीं बैठक में हिमाचल को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी 27.9.11 के अपने फैसले में हिमाचल की 7.19% की भागीदारी को स्वीकार किया है। लेकिन इन फैसलों पर अब तक अमल नही हो सका है। इस पर शीघ्र अमल करवाया जाये।

6. भाखंड़ा नंगल समझौता 1959 तथा 31 दिसम्बर 1998 के अर्न्तराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार हिमाचल को सतलुज, रावी तथा व्यास से पानी का कोई आंवटन नही हुआ है । इन नदियों से हिमाचल के जल उपयोग अधिकारों को देखते हुए इन परियोजनाओं से लगते ग्रामीण क्षेत्रो की जलापूर्ति के लिये अनापति प्रमापत्र की आवश्यकता समाप्त की जाये।

7. हिमाचल प्रदेश राज्य ने पंजाब तथा हरियाणा राज्यों के विरूद्ध बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन में 3957 करोड़ रुपये के विद्युत एरियर दावों को 5 जुलाई 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप प्रस्तुत किया था। भारत सरकार ने यद्यपि अलग से एनएफएल दरों की संस्तुति की थी, जो हिमाचल प्रदेश को मान्य नहीं हैं। हिमाचल

शेष पृष्ठ 2 पर.....

सुक्खु परिवार के पास है करीब 2.50 करोड़ की चल-अचल संपत्ति

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह सुक्खु के पास बेहिसाब बेनामी संपत्ति होने के आरोप लगायें है धूमल सहित कुछ अन्य भाजपा नेताओं ने। भाजपा नेताओं ने यह भी दावा किया है कि यह आरोप उनके आने वाले आरोप पत्र में प्रमुखता से दर्ज रहेंगे। यह आरोप लगते ही मुख्य मन्त्री वीरभद्र सिंह ने भी इनकी पड़ताल करवाने का एलान कर दिया। जैसे ही यह आरोप उछले सुक्खु ने भी तुरन्त प्रभाव से पलटवार करते हुए धूमल को चुनौती दे दी कि या तो इन आरोपों को प्रमाणित करे या राजनीति से सन्यास ले लें। इसी के साथ सुक्खु ने यह भी दावा किया कि उनके पास जो भी चल अचल संपत्ति है उसका उन्होने 2012 के चुनाव शपथ पत्र में पूरा खुलासा किया हुआ है और यदि इस चुनाव पत्र से हटकर कोई संपत्ति प्रमाणित हो जाती है तो वह राजनीति से सन्यास ले लेंगे। सुक्खु की चुनौती के बाद भाजपा नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है और न ही

वीरभद्र सिंह का पड़ताल का दावा आगे बढा है।

स्मरणीय है कि मुख्य मन्त्री वीरभद्र सिंह इस समय संपत्ति प्रकरण में ही केन्द्र की ऐजैन्सीयों सीबीआई और ईडी की जांच झेल रहें है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल भी संपत्ति प्रकरण मे विजिलैन्स की आंच झेल रहे हैं इन दोनो नेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप है और अब इस पंक्ति में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम भी जुड़ गया है किसके खिलाफ लगे आरोप कितने प्रमाणित हो पाते है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन सुक्खु ने 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ते समय अपने शपथपत्र में अपनी संपत्ति का जो ब्योरा दिया है उसके मुताबिक पत्नी और दो बच्चों सहित इस परिवार के पास चल और अचल कुल संपति करीब तीन करोड के आस पास हैं इस संपति में अपने पुश्तैनी गांव सहित शिमला और बद्दी की संपति भी शामिल है यह शपथ पत्र पाठकों के सामने रखा जा रहा है बहरहाल इस शपथ पत्र से हटकर और किसी संपति का खुलासा सामने नहीं आया है और इससे अधिक संपति के खुलासे तो कई ऐसे विधायकों ने कर रखे है जो पहली बार ही चुनकर आये हैं बल्कि अधिकांश विधायकों ने तो अपनी पत्नीयों के नाम अपने से अधिक दिखा रखी है।

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस वक्त सुक्खु के खिलाफ यह आरोप क्यों लगे? क्या इनके पीछे कांग्रेस की अपनी राजनीति हावि है? क्या भाजपा सुक्खु और वीरभद्र के रिश्तों की तलबी को और हवा देना चाहती है? इन सवालों की निष्पक्ष

शेष पृष्ठ 2 पर.....

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
TENDER NOTICE

Sealed item rate tenders on form 6&8 are invited by the Executive Engineer B&R division HPPWD Joginder Nagar District Mandi (HP) for following works from the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD Department so as to reach in this office on or before 28/11/2016 upto 10:30 AM and will be opened on the same day at 11:00 AM in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be had from his office against cash payment (Non refundable) up to 12:00 Noon on 26/10/2016.

The tender form will be issued to contractor giving proof or sale tax clearance certificate, work done certificate proof of machinery etc. The earnest money in the shape of national saving certificate /Time deposit account/saving account in any of the Post Office in H.P. duly pledged in the name of Executive Engineer , B& R division HP PWD Joginder Nagar must be accompanied with the application. Conditional tender and tender received without earnest money will be out rightly rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reason. If there happens to be any holiday the same will be open on the next working day.

Work No. 1: Construction of Chakka jhamehar road up to Neri via Aali Pabo km 5/0 to 10/0 (Sub Head :- construction of RCC Hume pipe culvert 900 mm dai along with wall at km 5/500, km 5/700 & km 5/770) Estimated Cost 3,87,819/- Earnest Money 7,800/- Time Three Months Cost of form 350/-

Work No. 2. Periodic Maintenance of Lad Bharol Daled Bhagher road (VR- 0062) (other than PMGSY) Rural roads under Annual Maintenance Plan for the year 2016-17 (Sub Head:- Providing and Laying Cement concrete pavement in (Streches 52 mtr) km 3/0 to 4/0 and V-shape drain in (Streches 600 mtr.) km 2/0 to 3/0) Estimated Cost 2,01,486/- Earnest Money 4,000/- Time Three Months Cost of form 350/-

Work No. 3. Construction of Drang Basahi road km 27/0 to 30/0 under SCSP (Sub Head : Providing and Laying Soling 90mm to 45 mm size km 27/0 to 30/0) Estimated Cost 8,51,020/- Earnest Money 17,000/- Time Three Months Cost of form 350/-

Work No. 4. Contruction of 2:00mtr. Span RCC slab culvert on link road Har Jhalwan to Gain Chand House in Gram Panchayat Masoli (Drang block) District Mandi (HP) Under deposit of Zila Parishad & MP Lad Estimated Cost 1,64,512/- Earnest Money 3,300/- Time Three Months Cost of form 350/-

Work No. 5 Restoration of rain damages on Ahju Basahi road km 0/0 to 24/0 (Sub Head Construction of Retaining wall with Pushta at km 9/855 to 9/870) Estimated Cost 3,09,597/- Earnest Money 6,200/- Time Three Months Cost of form 350/-

TREMS AND CONDITIONS:

1. Contractors will have to submit their H.P. sale tax registration under H.P. state Sales Tax Act, 1968 from the competent authority and production of copy of the same N.O.C. from the Excise and Taxation Department.
2. The Contractor /Firms must have constructed /stipulated similar type of work and he/ they should produce a certificate from the Executive Engineer concerned earnest money along with application The earnest money shall only be accepted in the prescribed mode.
3. No tender form will be issued to the contractor without producing the work done certificate from the Executive Engineer concerned.
4. The tender documents shall be issued to only those contractor/firm :- a) with have successfully executed at list three works of similar class during the three proceeding years The cost of each work shall not be less than ¼ of the amount put to tender or equal amount of one similar work.
5. The contractor/firms are requested to insert the rate of each item in words as well as in figures failing which XEN reserves the right to accept /reject any or all tenders.
6.The Contractor must possess the required machinery for the work.

Adv. No.-2804/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
TENDER

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer Palampur Division HP PWD Palampur on behalf of the Governor of H.P. for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P. General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before 21.11.2016 upto 11:00 AM And the same shall be opened on the same day at 11:30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had for his office against cash payment (Non -Refundable) on 19.11-.2016 upto 4:00 P.M. and the application for issue of tender form shall be received on 18.11.2016 up to 12:00 noon.

The earnest money in the shape of NSC/FDR saving account of the Post Office /Bank in H.P. duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender Conditional incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Work No. 1. S/R of Jsrsey Farm Palampur (S.W.:- P/l C.G.I Sheet roofing & Bonndary wall for cow shed with gate) (Deposit) Estimated Cost: 3,09,717/- Earnest Money 6,200/- Time Limit three Months Cost of form 350/-

Work No. 2. Restoration of damages due to laying of optical cable in Bandla Ghuggar thaurdwara raod (S.W. Construction V- shape drain Length = 283 mtrs & edge wall at km 1/880 to 1/892 Estimated Cost : 1,68,727/- Earnest Money 3,400/- Time Limit three Months Cost of form 350/-.

Work No. 3. Balance work for the C/O six Lane track and Pavilion /Stage at PTC Daroh (S.H. Balance work of Pavilion and stage only) Estimated Cost : 6,05,621/- Earnest Money 12,200/- Time Limit One Month Cost of form 350/-

Work No. 4. Construction of Chhenhary Bye pass road km 0/00 to 2/300 (S.W.P/L Cement concrete pavement at Rd 0/175 to 0/535) Estimated Cost : 9,65,376/- Earnest Money 19,400/- Time Limit Two Months Cost of form 350/-

TERMS AND CONDTIONS:-

Following documents should accompany the application for tenders.

1. Sale Tax No. with Latest Sales Tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration.
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic /Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered / Insured post which should be received in this office on or before of date of opening of tender by 11:00 A.M. positively.
7. Contractor wills have to successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost amount of estimated cost during the last preceding three years.
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-2761/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

क्या वीरभद्र के मांग पत्र का परिणाम है

.....................पृष्ठ 1 का शेष

प्रदेश के दावों को केवल राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटिड की दरों तक सीमित रखना न केवल घोर अन्याय है, बल्कि सहभागी राज्यों की भावनाओं के विरूद्व भी है क्योंकि एनएफएल की दरों को रियायती दरें माना जाता है तथा रियायती दरें कभी भी समझौते की दरें नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया।

8. एफसीए 1980 के अंतर्गत प्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिये वन भूमि के उपयोग के एवज में सीए तथा एनपीवी जमा करना होता है, जो अनिवार्य है। गत तीन वर्षो में प्रदेश ने विभिन्न प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की सड़कों के लिये सीए तथा एनपीवी के रूप में लगभग 60 करोड़ रुपये जमा किए हैं। निकट भविष्य में स्थिति और गंभीर होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाली लगभग सभी सड़कें वन क्षेत्र से गुजरती हैं। प्रदेश की कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं की एनपीवी केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाए।

9. प्रधानमंत्री से भारत सरकार द्वारा एआईबीपी तथा एफएमपी के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत योजनाओं के लिये धनराशि जारी करने का आग्रह किया गया। अधिकांश ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निजी संसाधनों से ही भारी धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा इसका भुगतान करना केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अभी भी शेष है।

10. मनरेगा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के लिये उपयोगी और अधिक गतिविधियों को शामिल किया जाए। भांग के पाधे हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में प्राकृतिक तौर पर उगते हैं। यह एक गंभीर सामाजिक खतरा बन जाता है। प्रदेश सरकार ने आग्रह किया है भांग के पाधों को उखाड़ना भी मनरेगा की पात्र गतिविधि शामिल किया जाए। ग्रामीण विकास विभाग ने पहले ही 22 अगस्त, 2016 से 5 सितम्बर, 2016 तक भांग/अफीम उन्मूलन अभियान शुरू किया था तथा इस अभियान के अंतर्गत 2145.79 हेक्टेयर क्षेत्र से भांग उखाड़ी गई।

11. प्रदेश में छोटे तथा मझौले किसानों द्वारा चाय की खेती की जाती है, न कि असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों की तरह जहां बड़े किसान इस व्यवसाय से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि चाय बागानों के पुनर्जीवन को भी मनरेगा गतिविधि में शामिल किया जाए।

12. प्रदेश सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हिमालयन सर्किट के तहत 100 करोड़ रुपये की परियोजनाऐं केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय को वित्त पोषण हेतु सौंपी हैं। मुख्यमंत्री ने हिमालयन सर्किट योजना के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिये भी केन्द्र सरकार से आग्रह किया।

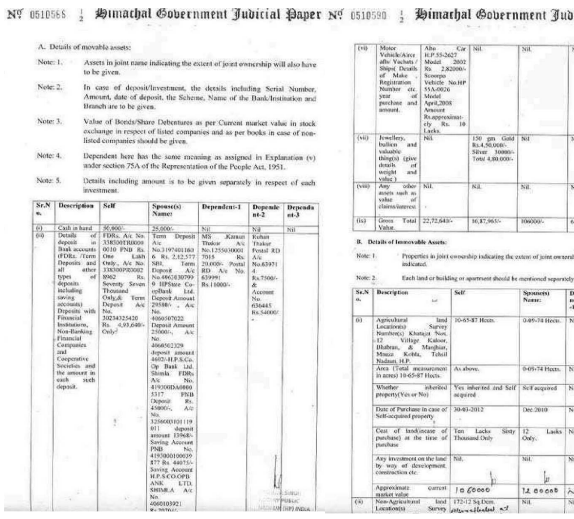

सुक्खु परिवार के पास है करीब 2.50 करोड़

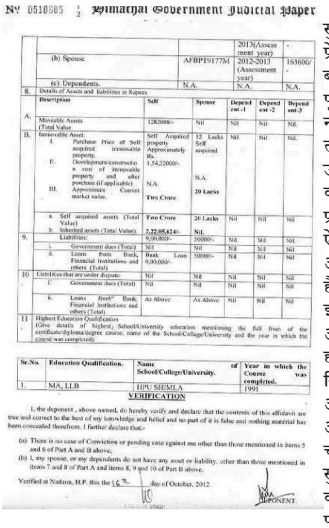

.............पृष्ठ 1 का शेष

पड़ताल से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि सुक्खु के अध्यक्ष पद संभालते ही सरकार में एक व्यक्ति एक पद का मुद्दा उछला था। अभी पिछले दिनों संगठन में सचिवो की नियुक्ति को लेकर जो विवाद उछला था उसमें त्यागपत्र तक की नौबत आ गयी थी। वीरभद्र संगठन के फैसलों से कभी भी ज्यादा सहमत नही रहे है। संगठन के लिये बनाये गये जिलों को लेकर वीरभद्र की नाराजगी जगजाहिर है कुल मिलाकर वीरभद्र और सुक्खु में किसी न किसी मुद्दे पर मदभेत बाहर आते ही रहे है। हालांकि हर बार इन मदभेदों के बाद दोनो नेताओं में बैठकें भी होती रही है। बल्कि जब वीरभद्र के विश्वस्तों ने वीरभद्र ब्रिगेड बनाया था उस समय सुक्खु ने कुछ लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई का चाबुक भी चला दिया था। सुक्खु ने ऐसी कारवाई का साहस इस लिये दिखाया था क्योंकि उनके अध्यक्ष बनने में वीरभद्र की भूमिका नहीं के बराबर रही हैं ऐसे में कल जब विधानसभा चुनावों को टिकटों के बंटवारे का प्रश्न आयेगा उस समय अध्यक्ष की भूमिका ज्यादा प्रभावी रहेगी। जबकि दूसरी ओर से वीरभद्र, विक्रमादित्य के माध्यम से टिकटों के मामले में कांग्रेस हाईकमान को भी अप्रत्यक्षतः आंखे दिखा चुके है। इस परिदृश्य में आज वीरभद्र की पहली राजनीतिक प्राथमिकता संगठन पर कब्जा करना हो जाती है। इस दिशा में हर्ष महाजन, गंगुराम मुसाफिर, सुधीर शर्मा जैसे नेताओं के नाम प्रेषित होते रहे हैं लेकिन इस बार चिन्तपुरनी के विधायक और पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार का नाम लगभग स्वीकृति के मुकाम तक पहुंच गया था। लेकिन उच्चस्थ सूत्रों के मुताबिक कुलदीप कुमार की फाईल प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी के यहां से ऐसे गायब हुई जिसका कोई अता-पता ही नहीं चल पाया है। चर्चा है कि वीरभद्र सिंह ने इस फाईल के गुम होने को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक हार माना हैं इसके लिये वीरभद्र सिंह, सुक्खविंदर सिंह सुक्खु और मुकेश अग्निहोत्री को अपरोक्ष में जिम्मेदार मान रहे हैं। चर्चा तो यहां तक है कि सुक्खु के खिलाफ आयी संपति की शिकायत और उस पर पड़ताल करवाने की घोषणा तथा अग्निहोत्री के महकमें के भीतर हुआ बड़ा परिवर्तन इस फाईल के गुम होने का परिणाम है।

यह है शपथ पत्र......

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री द्वारा देवी देवताओं के नजराने में पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा

शिमला/शैल। एक सप्ताह तक चला अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र ने समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर कुल्लू दशहरा समिति के अध्यक्ष व आयुर्वेद एवं सहाकारिता मंत्री कर्ण सिंह ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देवी

देवताओं के नजराने में पांच प्रतिशत बढोतरी की घोषणा की। उन्होंने उत्सव के दौरान स्थानीय देवी देवाताओं के साथ शामिल होने वाले बजंतरियों को 10 हजार रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव में स्थानीय देवी देवताओं के साथ दूर दराज क्षेत्रों से आने-जाने वाले लोगों को प्रदेश सरकार सहायता उपलब्ध करवाने पर भी विचार करेगी।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि कुल्लू दशहरा कुछ कारणों से सही प्रकार से आयोजित न हो, परन्तु सभी जानते हैं कि दशहरे का आयोजन पारम्परिक तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं कि दशहरा उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक न हो सके और इसके लिए अनेक षडयंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय तथा धार्मिक परम्पराओं व उत्सवों में राजनीति नहीं की जानी चाहिए और किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह मंदिरों का मालिक है।

उन्होंने कहा कि प्राचीन मंदिर किसी की भी निजी संपत्ति नहीं है और वे केवल ऐसे मंदिरों के न्यासी व देखभालकर्ता ही हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार कुल्लू स्थित रघुनाथ मंदिर भी निजी संपत्ति नहीं है। उन्होंने सराहन भीमाकाली माता मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि सराहन स्थित इस मंदिर के लिए भी न्यास का गठन किया गया है और वे भी उस न्यास के एक सदस्य हैं। इसी प्रकार आपपास के क्षेत्र के अन्य मंदिरों को भी भीमाकाली ट्रस्ट के अधीन लाया गया है जिसके फलस्वरूप इनका वित्तपोषण होने के साथ सही देखभाल भी हो रही है।

उन्होंने कहा कि उपायुक्त कुल्लू को हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने आपको को रघुनाथ मंदिर का स्वामी होने का दावा किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि पत्र लिखने वाला व्यक्ति जो पहले अपने आपको एक कारदार होने का दावा करता था अब स्वयं को इसका मालिक होने का दावा कर रहा है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मंदिरों के स्वामी नहीं हो सकता है जिसमें कुल्लू घाटी के लोगों का विश्वास हो और मंदिर लोगों के होते हैं। उन्होंने कहा कि लोग व कारदार आए और गए परन्तु मंदिर सदा के लिए अपनी जगह पर स्थित है और सरकार चाहती है कि प्रदेश के प्राचीन मंदिरों का अच्छी प्रकार से संरक्षण व देख-रेख सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि सरकार रघुनाथ मंदिर का स्वामी नहीं बनना चाहती परन्तु मंदिर की सही देखरेख व वित्त पोषण चाहती है, ताकि इनका सृजन न्यास के गठन द्वारा किया जा सके और इसे मंदिरों के विकास पर खर्च किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों का जीवन स्थानीय देवी-देवताओं के ईर्द-गिर्द घूमता है और वे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। उन्होंने रीति-रिवाजों व संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि हमारी पहचान इन प्राचीन परम्पराओं व संस्कृति के कारण ही है। उन्होंने कहा कि जिस सभ्यता ने अपनी संस्कृति का संरक्षण नहीं किया वह समाज कभी भी फल-फूल नहीं सकता है।

इससे पूर्व आयुर्वेद एवं सहकारिता मंत्री श्री कर्ण सिंह ने मुख्यमंत्री का कुल्लू जिला के दो दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि ऐसे उत्सवों को स्थानीय राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और सभी को एक जुट हो कर उत्सवों को सफल बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी आंखे खोलकर प्रदेश में हुए समग्र विकास को देखना चाहिए और केवल आलोचना के लिए आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

147 करोड़ के औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 80वीं बैठक में 147 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश की नई इकाईयां स्थापित करने के 16 प्रस्तावों तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे लगभग 830 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, जो यह दर्शाता है कि देश भर में औद्योगिक मंदी के बावजूद राज्य औद्योगिक निवेश आकर्षित करने में सफल हो रहा है।

उद्योग तथा सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुछ औद्योगिक इकाइयों को पुन: जीवित करने के उपाय सुझाए।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नये प्रस्तावों मे दानेदार कीटनाशक की स्थापना के लिए मैसर्ज एग्रीलाईन इंडस्ट्रीज, अम्ल, डीएम वाटर, बेटरी चार्जिंग की स्थापना के लिए मैसर्ज भगवती हिम एग्रो इंजिनियर्ज, गैसयुक्त सोडावाटर, स्वादिष्ट सोडा, सॉफ्ट पेय इत्यादि के लिए मैसर्ज रेणुका वाटर टेक्नोलोजीज, नियंत्रित तापमान शीतल भंडारण की स्थापना के लिए मैसर्ज हिम फार्म फेश तथा ड्राई इंजेक्शन की स्थापना के लिए मैसर्ज निक्सी लेबोरेट्रीज प्राईवेट लि. शामिल है।

इकाइयों के विस्तार संशोधित प्रस्तावों में चौपहिया बैटरियों, दोपहिया बैटरियों, इनवर्टर बैटरियों, सौर बैटरियों के लिए मैसर्ज ईस्टमैन ऑटो पावर लि, सूती धागे निर्माण प्लांट के विस्तार के लिए मैसर्ज पूजा कॉस्पिन, पैट प्रिफार्म के निर्माण के लिए मैसर्ज श्री नैणा प्लास्टिक, शॉफ्ट एवं गियरों के निर्माण के लिए मैसर्ज माईलस्टोन गियर्ज प्राईवेट लि., सीएफएल बल्बों, एचआईडी बल्बों, साबुन, दंतमंजन, शैम्पू, हेयर ऑयल, सरफेस क्लीनर के निर्माण के लिए मैसर्ज ए.जी. इंटरनेशनल तथा साबुन व शैम्पू के उत्पादन के लिए मैसर्ज आर.एम. केमिकल प्राईवेट लि. की स्वीकृतियां शामिल हैं।

शिमला नगर निगम वार्डों के पुनर्सीमांकन का कार्यक्रम जारी

शिमला/शैल। हि.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्त शिमला को नगर निगम शिमला के वार्डो का पुनर्सीमांकन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर करने के निर्देश जारी किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि वर्तमान नगर निगम शिमला का कार्यकाल 5 जून, 2017 को पूरा हो रहा है, जिसके चलते भारत के महा रजिस्ट्रार जनगणना ने नगर निगम शिमला से संबंधित जनगणना के आंकड़े अधिसूचित कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार शिमला नगर की जनसंख्या 1,42,553 से बढ़कर 1,69,578 हो गई है।

पुनर्सीमांकन कार्यक्रम के अनुसार सीमांकन की प्रस्तावना का प्रारूप 24 अक्तूबर, 2016 को प्रकाशित किया जाएगा। नगर निगम के निवासियों द्वारा उपायुक्त शिमला के समक्ष प्रस्तावित वार्डो के प्रारूप पर आक्षेप 25 अक्तूबर से 3 नवम्बर, 2016 तक दायर किए जा सकते हैं। उपायुक्त द्वारा आपत्तियों का निपटारा इनकी प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। उपायुक्त के आदेश के विरूद्ध मण्डलायुक्त शिमला के समक्ष अपील आपत्तियों के निपटारे के 10 दिन के भीतर की जा सकती है। मण्डलायुक्त द्वारा अपील का निपटारा अपील दायर करने के 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि उपायुक्त शिमला द्वारा वार्डो के पुनर्सीमांकन की अन्तिम अधिसूचना 6 दिसम्बर, 2016 या इससे पूर्व जारी की जाएगी।

कन्या बचाव के लिए 'मुस्कान' योजना आरम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पहल कन्या बचाओ के अंतर्गत प्रदेश के सात जिलों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लिंग अनुपात में सुधार के लिए 'मुस्कान' योजना का शुभारम्भ किया। यह योजना चम्बा,

किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, शिमला, सिरमौर तथा सोलन के लिए आरंभ की गई है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवजात कन्याओं की माताओं को सम्मानित किया और उन्हें उपहार भी वितरित किए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि लिंग अनुपात में सुधार समय की मांग है। इस संवेदनशील मामले को लेकर समाज में जागरूकता की आवश्यकता है ताकि लोग लड़कियों के महत्व को समझें और कन्याओं की जन्म दर में सुधार हो सके।

निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मानसी सहाय ने इस अवसर पर कहा कि सरकार द्वारा लिंग अनुपात में सुधार लाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यय से राज्य में सघन अभियान आरम्भ किया है। सभी जिलों में गर्भावस्था के 10 सप्ताह में पंजीकरण करवाना अनिवार्य बनाया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यह सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं कि कि गर्भधारण का पंजीकरण न केवल सम्बन्धित केन्द्रों बल्कि संबंधित गांव के स्वास्थ्य उप केन्द्रों में भी करवाया जाए।

उन्होंने कहा कि कम लिंग अनुपात वाली ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर नव विवाहित जोड़ों को परामर्श के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 'गुड्डा-गुड्डी' सूचना पत्रिकाओं के माध्यम से नवजात कन्याओं और जिले में लड़कियों की कुल संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा, राजस्व, ग्रामीण विकास आदि जैसे कई एजेंसियां और जिला प्रशासन की मदद से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नवजात कन्याओं की माताओं को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रे डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, मुख्य सचिव वी.सी. फारका, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार टी.जी. नेगी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, उपायुक्त शिमला रोहन ठाकुर और अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

योजना आयोग के बन्द होने से हिमाचल को सालाना हो रहा 3,000 करोड का नुकसान

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के समय में योजना आयोग को भंग करने से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से भारी नुकसान सहना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश को योजना आयोग से जो धन राशि पूर्व में प्राप्त होती थी, उससे अब प्रदेश वंचित है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2015-16 के बाद सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष योजना सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली धन राशि के बन्द होने से सालाना 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। योजना आयोग के बन्द होने के कारण प्रदेश के वित्त पोषण का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और प्रदेश को गत दो वर्षो में इससे लगभग 6,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, राष्ट्रीय ई-शासन के बन्द होने तथा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम व बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत बेहद कम आबंटन होने से हिमाचल प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका असर जिला ऊना, कांगड़ा, मण्डी व हमीरपुर जिलों में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं पर मुख्य रूप से हुआ है। साथ ही चम्बा और सिरमौर जिलों में भी पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना के समाप्त होने से इन जिलों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य को केन्द्रीय करों के हस्तांतरण में कमी के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षो में 1500 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय वित्त पोषण में कमी के कारण वर्ष 2015 से 2020 की 5 वर्ष की अवधि के दौरान प्रदेश को 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान अनुमानित है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि हिमाचल प्रदेश को केन्द्र सरकार के दावों के विपरित वर्तमान में कम धन राशि प्राप्त हो रही है।

जो चीज विकार को मिटा सके, राग–द्वेष को कम कर सके, जिस चीज के उपयोग से मन सूली पर चढ़ते समय भी सत्य पर डटा रहे वही धर्म की शिक्षा है.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

मोदी ने मांगा 72 हजार करोड़ का हिसाब

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश की तीन जलविद्युत परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर आयोजित रैली एक सफल रैली रही है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। यह रैली प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का सफल संकेत मानी जा सकती है। क्योंकि इस रैली मे प्रधानमंत्री ने जो बुनियादी सवाल उछाले हैं वह आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बहस का मुद्दा बनेगे? प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता को बताया कि केन्द्र ने 15वें वित्तायोग की सिफारिशों के बाद हिमाचल को 72 हजार करोड़ रूपेय का आवंटन किया है। जबकि 14 वें वित्तायोग के तहत यह राशी केवल 21 हजार करोड़ थी। 14वां वित्त आयोग यूपीए सरकार के समय आया था और 15वां अब भाजपा सरकार के दौरान आया है। कांग्रेस के मुकाबले तीन गुणा से भी ज्यादा आंवटन प्रदेश को मिला है। मोदी ने स्पष्ट कहा है कि केन्द्र और प्रदेश की जनता राज्य सरकार से इस पैसे के खर्च का हिसाब मांगेगी। राज्य सरकार का खर्च कितना तर्क संगत होता है? उसमें कितनी फजूल खर्ची होती है? इन सवालों पर कभी बहस नही हुई है। क्योंकि जनता को इस तरह के तथ्यों की कभी सीधी जानकारी होती ही नहीं है। यह पहली बार है कि देश के प्रधान मंत्री ने जनता के सामने इतना बड़ा आंकड़ा रखा है। इस आंकड़े को झुठलाना या इस पर कोई और किन्तु/परन्तु उठाना राज्य सरकार के लिये संभव नही होगा।

केन्द्र ने राज्य को 61 राष्ट्रीय उच्च मार्ग दिये हैं इन उच्च मार्गो पर कार्य शुरू हो इसके लिये समय पर इनकी डीपीआर बनकर केन्द्र के पास पहुचनीं चाहिये। डीपीआर राज्य सरकार को बनानी है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पिछले दिनों यह कहा हैं कि डीपीआरज बनाने के लिये उन्हे पैसा नही दिया गया हैं अब मुख्यमंत्री का यह तर्क प्रधान मन्त्री के 72 हजार करोड़ के आंकड़े के नीचे इस कदर दब जायेगा कि इससे उभरना राज्य सरकार के लिये संभव नहीं हो पायेगा क्योंकि प्रधानमन्त्री ने अपने संबोधन में जहां पूर्व मुख्यमन्त्रीयों शान्ता कुमार और प्रेम कुमार धूमल को विकास का पर्याय बताया वहीं वर वीरभद्र को नाम लिये बगैर ही भ्रष्टाचार का पर्याय करार दिया। प्रधान मन्त्री के इस संकेत से यह भी संदेश उभरता है कि केन्द्र के खिलाफ चल रही जांच के प्रति पूरी तरह गभीर है और सही समय पर उसके परिणाम सामने आयेंगें आज राज्य सरकार का कर्जभार लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय बहुत सारे विकास के कार्य पैसों के अभाव में बन्द हो चुके है। मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में ठेकेदारों की पैमेन्टस रूकने के कारण ठेकेदारों ने काम बन्द कर दिये है। प्रदेश के पेयजल योजनाओं के लिये आये हजारों करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर न जाने के कारण केन्द्र ने इन योजनाओं के लिये अगले भुगतान के लिये शर्ते कड़ी कर दी है। पर्यटन में फर्जी उपयोगिता पर जांच प्रमाण पत्र सौंपे जाने को लेकर शिकायते केन्द्र के पास पहुंच चुकी हैं और इन शिकायतों पर जांच को रोक पाना संभव नही होगा क्योंकि आर टी आई के तहत इन शिकायतों पर हुई कारवाई की जानकारी भी मांग ली गयी है।

कैग रिपोर्टो में सरकार के खर्चो को लेकर एक लम्बे समय से सवाल उठते रहे हैं लेकिन यह सवाल कभी बहस का मुद्दा नही बन पाये है। आज प्रधान मन्त्री द्वारा एक खुले मंच से 72 हजार करोड़ के आंकड़े की जानकारी आम आदमी के बीच आने से स्वाभाविक रूप से इस पर बहस उठेगी ही। क्योंकि यह आम आदमी का पैसा है और उसे यह हक हासिल है कि वह इस खर्च का हिसाब मांगे। प्रधानमंत्री ने जनता से स्पष्ट कहा है कि वह इस खर्च का सरकार से हिसाब मांगे। मोदी के इस आंकड़े के हथौड़े से राज्य सरकार का बचना असंभव है।

प्रदेश में किसानों के लिए वरदान बना सुदृढ़ कृषि विपणन नेटवर्क

कृषि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का एक प्रमुख घटक है तथा राज्य की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां के कारण प्रदेश में कृषि योग्य भूमि कम है, फिर भी प्रदेश में कृषि व बागवानी के क्षेत्र में व्यापक क्रांति आई है। इसका श्रेय जहां एक ओर प्रदेश के मेहनतकश किसानों को जाता है, वहीं इसका श्रेय राज्य सरकार द्वारा किसानों व बागवानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को भी जाता है।

राज्य में प्राकृतिक एवं अन्य समस्याओं से प्रदेश के किसानों व बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक सार्थक पहल की हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में एक सुदृढ़ विपणन नेटवर्क विकसित किया गया, ताकि किसानों

व बागवानों को उनके उत्पाद को मण्डियों तक आसानी से पहुंचा सके और उन्हें विचौलियों के हाथों से भी बचाया जा सके।

प्रदेश में किसानों को उनके उत्पाद के उचित मूल्य सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1972 में हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड का गठन किया। इसके उपरान्त किसानों को, जहां उनके उत्पाद के उचित मूल्य मिलने लगे, वहीं प्रदेश को राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से, जहां प्रदेश के किसानों के चेहरे पर खुशी झलकी है, वहीं वे बेहतर खेती के लिए भी प्रेरित हुए हैं।

किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि राज्य में कृषि उत्पादों के मूल्यों में किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो और उन्हें अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकें, इसके लिए सरकार ने प्रदेश में बेहतर कृषि विपणन ढांचा विकसित किया हुआ है। राज्य में हिमाचल प्रदेश कृषि एवं बागवानी उत्पाद विपणन (विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2005 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में 10 कृषि उत्पाद मण्डी समितियों का गठन किया गया।

प्रदेश में किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने मार्किट यार्डों का निर्माण किया है, जिसमें दुकान एवं गोदाम, बोली प्लेटफार्म, किसान विश्राम गृह, आंतरिक सड़कों, चार दीवारी, पेयजल एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा तथा क्लोज सर्किट कैमरे जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अभी तक राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 56 मार्किट यार्डों का निर्माण किया गया है।

प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में, जहां सड़कों की समुचित सुविधा नहीं है, वहां सरकार द्वारा रज्जू मार्गो का निर्माण किया जा रहा है, ताकि किसानों के उत्पादों को निकटतम सड़क मार्ग तक पहुंचाया जा सके। अभी तक प्रदेश में 8 रज्जू मार्गो का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

पूर्व में बेहतर सड़क नेटवर्क के अभाव में किसानों को अपने उत्पाद को कम दामों पर स्थानीय मण्डियों में बेचना पड़ता था, परन्तु वर्तमान राज्य सरकार ने सम्पर्क मार्गो का व्यापक नेटवर्क सृजित किया, जिससे किसान अपने उत्पाद को मण्डियों तक ले जाने में सफल हो सकें। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में फल एवं सब्जी मण्डियों के निर्माण के अतिरिक्त भण्डारण केन्द्रों का भी निर्माण किया गया। अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा 17 कोल्ड स्टोर स्थापित किए गए हैं। सरकार द्वारा निकट भविष्य में और अधिक कोल्ड स्टोर स्थापित किए जाएंगे, जबकि शिमला जिला के पराला, रोहड़ु, बागी, कोटखाई तथा खड़ा पत्थर तथा कुल्लू जिला के खेगसु एवं बन्दरोल में नियंत्रित वातावरण भण्डारों का निर्माण किया जा रहा है।

बेहतर विपणन, कृषि उत्पाद प्रबन्धन तथा कृषि विपणन के लिए किसानों के लिए कृषि प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में किसानों को विपणन बोर्ड, मार्किट समिति, कृषि तथा उद्योग एंव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा विपणन की बारिकीयों की जानकारी दी जा रही है। किसानों के लिए अपने उत्पाद को मण्डी में बेचने के लिए नियमित बाजार भाव की जानकारी आकाशवाणी शिमला तथा दूरदर्शन केन्द्र के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

किसानों को विभिन्न कृषि उत्पादों के बाजार भाव की जानकारी नेशनल नेटवर्क पर आधारित एक कृषि विपणन सूचना नेटवर्क, 'एग्मार्क नेट' के माध्यम से भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। किसानों की सुविधा के लिए एक वैब पोर्टल का भी सृजन किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न मण्डियों तथा उप-मण्डियों में किसानों व व्यापारियों की सुविधा के लिए मूल्य पटिकाएं भी स्थापित की गई हैं।

खाद्य सुरक्षा हासिल करना और बरकरार रखना दुनिया भर में बड़ी चुनौति

2050 तक विश्व की आबादी लगभग 9.5 अरब हो जाएगी, जिसका स्पष्ट मतलब है कि हमें दो अरब अतिरिक्त लोगों के लिए 70 प्रतिशत ज्यादा खाना पैदा करना होगा। इसलिए खाद्य और कृषि प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना होगा और ज्यादा लचीला, उपजाऊ व टिकाऊ बनाने की जरूरत होगी। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना होगा और खेती के बाद होने वाले नुकसान में कमी के साथ ही फसल की कटाई, भंडारण, पैकेजिंग और ढुलाई व विपणन की प्रक्रियाओं के साथ ही जरूरी बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार करना होगा।

इसे देखते हुए इस साल के विश्व खाद्य दिवस का मुख्य विषय रखा गया है, 'जलवायु बदल रही है। खाद्य और कृषि को भी बदलना चाहिए।' भूख की चुनौतियों के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने और भूख के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी कदम उठाने के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए 1979 से ही 16 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जा रहा है। 2030 तक 'शून्य भूख' के स्तर को हासिल करने का वैश्विक लक्ष्य है, जिसे जलवायु परिवर्तन – खाद्य सुरक्षा का हल निकाले बिना हासिल नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा से सुरक्षित और पोषक खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच/उपयोग की क्षमता का पता चलता है। (हालांकि संबधित चुनौतियों से अमीर/गरीब देशों की शहरी/ग्रामीण आबादी समान रूप से प्रभावित हो रही है। एफएओ का अनुमान है कि 2014 – 16 के दौरान लगभग 19.46 करोड़ भारतीय (15.2 प्रतिशत) को कम भोजन मिला।

संतोष जैन पस्सी
आकांक्षा जैन

21वीं शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान में 1.4 – 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है, जिससे खाद्य उत्पादन में खासी कमी देखने को मिलेगी। इसरो के मुताबिक हिमालय के ग्लेसियर पहले से कम हो रहे हैं (जो 15 साल में लगभग 3.75 किलोमीटर कम हो चुके हैं) और वे 2035 तक गायब हो सकते हैं। यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जिसमें रेगिस्तान का बढ़ना शामिल है और इससे सूखा, चक्रवात, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी सामने आ रही हैं। इनका असर अक्सर सबसे ज्यादा गरीब (अधिकांश किसान) लोगों पर पड़ता है और इस

प्रकार 2030 तक भूख को खत्म करने के हमारे लक्ष्य के सामने यह बड़ी चुनौती है! इस प्रकार टिकाऊ विकास के लिए जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कार्ययोजना काफी अहम है। यह विडंबना है कि कृषि को जलवायु परिवर्तन में बड़ा अंशदाता माना जाता है। 2 अक्टूबर, 2016 को भारत ने पेरिस समझौते पर मुहर लगा दी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ना और वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है।

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, 'दुनिया जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर चिंतित है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने मानव विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत के बीच सही संतुलन को समझा था। मानव की दौड़ में अब भौतिक विकास के प्रकृति पर विनाशकारी प्रभाव को समझा गया है।'

चूंकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजह है, इसलिए पर्यावरण में सुधार के लिए उनके उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करना जरूरी है। भारतीय कृषि के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के अहम मुद्दों में विभिन्न जलवायु स्थितियों के साथ राष्ट्र की विशालता(विभिन्न फसलें/कृषि प्रणालियां) (मानसून पर अत्यधिक निर्भरता)(जलवायु परिवर्तन से जल की उपलब्धता प्रभावित होना (छोटे -छोटे खेत(मुडेर की व्यवस्था में कमी) (जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों की कमी (बारिश से जुड़े ज्यादा प्रभाव (सूखा/बाढ़, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में) (कीटों/बीमारियों के ज्यादा मामले (ऑक्सीकरण का मिट्टी की उर्वरता पर तेजी से प्रभाव और जैव विविधता का विलुप्त होना शामिल है। भले ही भारत अनाज के उत्पादन में आत्म-निर्भर होने में सफल रहा है, लेकिन यह परिवारों की पुरानी खाद्य असुरक्षा का हल निकालने में संभव नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन से खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी, ऐसा विशेष रूप से भूख/कम पोषण वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।

हमारे देश के लिए जहां अधिकांश आबादी गरीब है और लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना खासा अहम है। जहां खाने की उपलब्धता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिवार/व्यक्तिगत आय से प्रभावित होती है, वहीं खाद्य का इस्तेमाल पेयजल की उपलब्धता में कमी से बिगड़ जाता है और इसका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। भारत पर वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी की मार पड़ने की संभावना है, जिससे 1.2 अरब लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये लोग विशेषकर बाढ़/चक्रवात/ सूखा प्रभावित क्षेत्रों के हैं। जलवायु परिवर्तन 'भूख के जोखिम को कई गुना बढ़ाने' के लिहाज से अहम है, जिससे खाद्य/पोषण सुरक्षा के सभी अंग प्रभावित हो सकते हैं जिसमें खाद्य की उपलब्धता, पहुंच, इस्तेमाल और स्थायित्व शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा को हासिल करना और बरकरार रखना दुनिया भर में बड़ी चुनौतियों में से एक हैं। खाद्य सुरक्षा की योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को प्रभावी तौर पर दूर करना, खाद्य पदार्थों का पर्याप्त भंडारण/वितरण के साथ ही उपचारात्मक उपायों की निगरानी शामिल है। अपनाए गए उपायों में विशेष रूप से शुष्क/अर्धशुष्क क्षेत्रों में फसल पैटर्न, नवीन प्रौद्योगिकी और जल संरक्षण अहम हो गया है। इसलिए, कार्बन में कमी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने की दिशा में आवश्यक प्रयास होने चाहिए। इस संबंध में जागरूकता फैलाने और हर कदम पर जनता की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।

भारत में खाद्य/पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड/सॉयल हेल्थ प्रबंधन योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, आईसीडीएस और एमडीएमएस आदि शामिल हैं। हालांकि, इन सभी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और विशेषकर संवेदनशील समूहों के लिए खामियों को दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सही इस्तेमाल के साथ ही पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना भी खासा अहम है, जिससे जंगलों की रक्षा हो और हर स्तर पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी से बचा जा सके जो खेतों से खाने की थाली तक बेहद जरूरी है। वनस्पति खाद्य पदार्थों बनाम पशु खाद्यों पर ज्यादा जोर देने के अलावा खरीद/पकाने में बर्बादी के साथ ही खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण और उनके उचित इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है।

यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिल डेवलपमेंट समिट-2015 में वैश्विक नेताओं को 'कचरे' (सब्जियों के कचरे, खराब करार दिए गए सेब/नाशपाती और खराब ग्रेड की सब्जियां) से बने व्यंजन परोसे गए। यह अनचाही/खराब खाद्य पदार्थों का अनुकरणीय इस्तेमाल है, जो वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी और उसके हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिहाज से अहम है(अन्यथा यह खाना बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा और मीथेन गैस निकलेगी, जो एक ग्रीनहाउस गैस है।

'जलवायु – स्मार्ट खाद्य प्रणाली' में निवेश की जरूरत है, जो खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए जरूरी है। ज्वार-जो सूखा प्रतिरोधी फसल है, जिसके लिए कुछ बाहरी इनपुट की जरूरत होती है, इसलिए यह मुश्किल हालात में भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि इसे 'भविष्य की फसल' कहा जाता है। यह पोषक अनाज कम समय (65 दिनों) में पैदा होता है और इसका सही से भंडारण किया जाए तो इसे दो साल और इससे ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। धान (धान के खेतों में ज्यादा पानी भरा होने के कारण ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है) की तुलना में ज्वार सीओ 2 के उत्सर्जन को कम रखकर जलवायु परिवर्तन के असर को कम रखने में मददगार होती है, जबकि गेहूं उत्पादन (गर्मी के प्रति संवेदनशील फसल) विपरीत प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। अनुकूलन की व्यापक क्षमता के कारण ज्वार नमी, तापमान और बंजर भूमि सहित तमाम विभिन्नताओं का सामना कर सकती है। इसके अलावा ज्वार का करोड़ों लोगों विशेषकर छोटे/सीमांत किसानों और वर्षा की कमी वाले/दूरदराज के आदिवासी इलाकों के लोगों को खाद्य और आजीविका उपलब्ध कराने से आर्थिक योगदान काफी ज्यादा है।

पोषण और कार्ययोजना पर रोम घोषणा पत्र (नवंबर, 2014) में खाद्य/पोषण सुरक्षा विशेषकर खाद्य उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता और विभिन्नता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने(सुझाई गई नीतियों/कार्यक्रमों को लागू करने और संकट वाले क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति संस्थानों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया।

इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में कमी लाना एक वैश्विक मुद्दा है (आजीविक/खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुकूलन की रणनीतियों को लागू करना जरूरी है। भारत को अपनी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य/गैर खाद्य जरूरतों को पूरा करने के वास्ते अपने पर्यावरण को बचाए रखने की जरूरत है। इसमें मृदा संरक्षण पर जोर देने, प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल की जरूरत है, जिसमें बारिश के पानी से सिंचाई भी शामिल है। खाद्य/पोषण सुरक्षा के लिए लोगों में फसल उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना सबसे अहम समाधान है।

पसूका

हर राज्य में होगा कैंसर संस्थान, बोले नड्डा

शिमला/शैल। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार अहम कदम उठाने जा रही है। इनके तहत देशभर में 20 कैंसर संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने हर राज्य में एक कैंसर संस्थान स्थापित करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार देशभर में कैंसर से लड़ने की मुहिम को और ज्यादा बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के केन्द्रों से ज्यादा से ज्यादा कैंसर पीड़ितों को उच्च स्तर का इलाज किया जा सकेगा।

नड्डा ने यहां सिर और गले के कैंसर पर चार दिवसीय वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जुलाई 2018 से काम करना शुरू करेगा।

उन्होंने कहा, ''सरकार प्रतिबद्ध है और कैंसर से निपटने के लिए हर तरह का सहयोग किया जाएगा। हम तीसरी श्रेणी की देखभाल पर विशेष जोर दे रहे हैं और देश के मध्य, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर और पूर्वी भागों में 11 नये एम्स शुरू होने वाले हैं जहां कम आधारभूत ढांचे हैं।''

हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कैंसर का इलाज इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज स्थित रीजनल कैंसर सेंटर शिमला में किया जाता है। यह कैंसर अस्पताल रोगियों की तादाद को देखते हुए अब विस्तार की मांग कर रहा है। साथ ही नई तकनीक की मशीनों की राह देख रहा है। इसकी स्थापना सन् 1977 में की गई थी और सन् 1986 में यहां पर 25 बिस्तरों का वार्ड बनाया गया था। वर्तमान में इनकी संख्या पचास से अधिक है और यह मरीजों की तादाद को देखते हुए काफी कम है।

रीजनल सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक हर साल यहां पर 2300 के करीब रोगी इंडोर दाखिला लेते हैं जबिक ओ.पी.डी. में तकरीबन 2400 मरीज आते हैं। ये सेंटर दो प्रोफेसर और तीन असिस्टेंट प्रोफेसर के कंधों पर चल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमाचल में फेफड़े के कैंसर के 95 प्रतिशत और सिर और गले के 70 प्रतिशत कैंसर रोगियों को यह बिमारी धुम्रपान की वजह से होती है।

विवादों में घिरे अपने बंगले को देखने फिर शिमला पहुंची प्रियंका गांधी

शिमला/शैल। चर्चाओं व विवादों में घिरे बंगले का काम पूरा करने के लिए यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका गांधी फिर छराबड़ा पहुंची व तैयार हो रहे अपने बंगले का जायजा लिया।

प्रियंका गांधी इस बंगले का काम पूरा कराने के लिए कई बार शिमला आ चुकी है । एक बार ये बंगला पूरा भी हो गया था। लेकिन उन्हें डिजाइन पसंद नहीं आया तो इसे गिरा दिया गया।

खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो वीरवार व शुक्रवार को छराबड़ा के नजदीक ओबराय ग्रुप के पांच सितारा होटल में रहेंगी व परसों वापस दिल्ली जाने का प्रोग्राम है।

गौरतलब हो कि प्रियंका गांधी के इस बंगले को लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने कई सारी जानकारियों मांग रखी है व मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। प्रदेश सूचना आयोग ने आरटीआई एक्टिविस्ट को बंगले से जुड़ी जानकारियां देने के आदेश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ प्रियंका गांधी ने हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है व हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। बहरहाल ये मामला अदालत में लंबित पड़ा है।

इसके अलावा भाजपा के शिमला से विधायक सुरेश भारद्वाज ने भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी व कहा था कि ये बंगला छुट्टियों में राष्ट्रपति के शिमला आने पर उनके निवास रीट्रीट के बिलकुल समीप है। इसलिए राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए इस बंगले को बनाने को मिली सभी मंजूरियां रदद कर दी जानी चाहिए। हालाकि गृह मंत्रालय से इस बावत अभी कहीं कुछ नहीं हुआ है। बंगले को जमीन खरीदने व मकान बनाने की मंजूरियां कांग्रेस व भाजपा दोनों की सरकारों ने दी है।

सूत्रों के मुताबिक अब इस बंगले का अधिकांश काम हो चुका है।

यौन हमले को लेकर दफ्तरों के बाहर शिकायत पेटी रखने की महिलाओं की मांग

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं ने प्रदेश सरकार से ग्रामीण महिलाओं के अलग से ग्रामीण महिला नीति बनाने की मांग की है। इसके अलावा महिलाओं के अधिकारों को लेकर इन महिलाओं ने राजधानी शिमला में ज्ञान विज्ञान समित और राज्य संसाधन केंद्र के बैनर तले ग्रामीण महिला दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में रैली भी निकाली।

समारोह में जिला सहित सोलन और बिलासपुर के सैंकड़ों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने स्थानीय पंचायत घर से उपायुक्त कार्यालय तक जलूस निकाला और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की।

इस मौके पर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की समता उप समिति की राज्य संयोजिका रीना सिंह ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की ग्रामीण आर्थिकी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होने कहा कि हमारे देश में ग्रामीण महिलाओं का जमीन तैयार करने में, 32 फीसद बीज बोने में, 76 फीसद रोपाई करने में, 90 फीसद खेत से घर तक फसल लाने में, 86 फीसद और देश की 10 करोड़ गाय -भैंसों को पालने में, अधिकतर योगदान है और हिमाचल प्रदेश में 90 फीसद आबादी ग्रामीण है जो देश में सबसे ऊंची दर है। यहां भी पशुपालन में महिलाओं का योगदान 86.2 प्रतिशत, बागवानी 37.2 प्रतिशत, सब्जी उत्पादन में 45.2 फीसद है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं के इसी योगदान को देखते हुए 1995 में बीजिंग में हुए चौथे महिला सम्मेलन में ग्रामीण महिला दिवस को मनाने का फैसला लिया गया और 2007 में 15 अक्तूबर को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई। 2008 से हर साल 15 अक्तूबर को यह दिन मनाया जाता है।

समारोह में इन ग्रामीण महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर एक चार्टर भी सीएम वीरभद्र सिंह को सौंपा जिसमें ये मागे शामिल की गई:

प्रदेश सरकार ग्रामीण महिलाओं के लिए अलग नीति तैयार करे। जहां अल्ट्रासाउड और एक्सरे मशीनें लगी हुई हैं वहां तकनीशियन दिए जाएं। ताकि सारा बोझ राज्य और क्षेत्रीय अस्पतालों पर न पड़े।

प्रदेश के एकमात्र महिला अस्पताल कमला नेहरू अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए। क्षेत्रीय स्तर पर महिला अस्पताल खोले जाएं।

बन्दरों को डराने या भगाने के लिए निशानेबाजों के दल चिन्हित करवाए जाएं।

खण्ड स्तर पर चारा बैंक और डिपुओं में माध्यम से सस्ती पशु फीड उपलब्ध करवाई जाए।

वन भूमि और बेकार पड़ी भूमि से घास कटाई के काम को मनरेगा के काम के तहत लाया जाए।

पशुओं के लिए पीने के पानी की अलग से व्यवस्था की जाए।

चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को एक और महिला सहित मुफ्त बस पास की सुविधा प्रदान की जाए।

8 मार्च अन्तर्राष्ट्रीय दिवस से महिला ग्राम सभा की तारीख बदल कर किसी और दिन रखी जाए ताकि महिलाएं महिला दिवस के समारोह में भी भाग ले सकें।

इस ग्राम सभा में पारित प्रस्तावों को अंतिम माना जाए और अगली ग्रामसभा में इन्हें पास करवाने की शर्त हटाई जाए। महिलाओं के लिए पंचायतों में अलग से बजट का प्रावधान हो।

पीसी.पीएनडीटी एक्ट को सख्ती से लागू करवाया जाए। पीसीपीएनडीटी. एक्ट के अन्तर्गत सलाहकार समितियों में महिला आन्दोलनों से जुड़ी महिलाओं को नामित किया जाए।

नशे के काले कारोबार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। नशा माफिया को राजनैतिक संरक्षण देना बन्द किया जाए।

कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को समय पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बारे में प्रशिक्षित किया जाए।

हर दफ्तर के बाहर यौन शोषण के खिलाफ शिकायत पेटी रखी जाए।

घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण कानून के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर के रूप में अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो या तो डिग्री धारक हों या कानून के ज्ञाता हों।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आंगनबाड़ी स्तरीय समन्वय समिति की मासिक बैठकों में उनकी जरूरतों से सम्बन्धित साहित्य व पाठय सामग्री उपलब्ध करवाई जाए।

ग्रामीण स्तर पर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा केन्द्र एवं पुस्तकालय खोले जाएं जहां पर महिलाओं को योजनाओं, विभिन्न आय वृद्धि कार्यक्रमों व स्वास्थ्य से सम्बन्धित जानकारियां मिले।

असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिला को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिले।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए ऐसे सरकारी भवन बनाए जाएं जहां पर पानी व शौचालय की उचित व्यवस्था हो।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का नियमितिकरण किया जाए।

स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मिले।

उनके द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन की सुचारू व्यवस्था हो।

उनके द्वारा तैयार उत्पादों का सरकारी संस्थाओं में इस्तेमाल हो।

उन्हें समय पर व्यवसायिक प्रशिक्षण दिए जाएं।

पांगी क्षेत्र को ईको टूरिज़म पॉलिसी के तहत किया जाएगा विकसित:भरमौरी

शिमला/शैल। 5 दिवसीय पांगी दौरे के दौरान वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने बैरागढ़ में जन सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि चम्बा ज़िला के पांगी क्षेत्र में ईको टूरिज़म की अपार सम्भावनायें है। पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली के विश्वव्यापी महत्व के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ाने ओर पर्वतीय लोगों की कठिनाईयों एवं चुनौतियों को उजागर करने के लिए ईको टूरिज़म एक कारगर पॉलिसी है। ईको टूरिज़म का मुख्य उद्देश्य स्थानीय वनस्पति, वन्य जीवों, पौराणिक स्थलों का संरक्षण व स्थानीय संस्कृति का तथा व्यक्तिगत विकास है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार की पॉलिसी है कि हर क्षेत्र को सड़कों से इस प्रकार जोड़ा जाए कि पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे।

इन्ही उद्देश्यों को मध्यनज़र रखते हुए पांगी में वर्तमान सरकार के प्रदेश के चहुंमुखी विकास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पांगी में बैरागढ़, साच पास, सतरुण्डी जैसे क्षेत्रों को सरकार की ईको टूरिज़म पॉलिसी के तहत विकसित करके स्थानीय लोगों के घर-द्वार में रोज़गार को पहुंचाया जाए।

सीमेंट के मूल्यों में तत्काल प्रभाव से कटौती

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनीषा नन्दा की अध्यक्षता में प्रदेश की तीन अग्रणी सीमेंट कम्पनियों मै. एस.सी. सी. लिमिटेड, मै. जे.पी. सीमेंट तथा मै. अम्बूजा सीमेंट के प्रतिनिधियो के साथ खुले बाजार में कीमतों की बढ़ौतरी के मामले पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के प्रयासों से सभी तीनों मुख्य सीमेंट कम्पनियों ने खुले बाजार में प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर हाल ही में सीमेंट के मूल्यों में 5 रुपये की बढ़ौतरी को वापिस लेने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि सीमेंट कम्पनियां 5 रुपये से 10 रुपये की कमी करने पर भी राजी हुई हैं, जबकि मूल्यों में बढ़ौतरी 15 रुपये तक की गई थी। जहां पर 15 से तीस रुपये तक की बढ़ौतरी हुई थी, वहां भी तीनों कम्पनियां मूल्यों में 15 रुपये कम करने पर भी राजी हो गई हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि परिवहन विभाग दो सप्ताहों के भीतर माल भाड़े की नई दरें अधिसूचित करेगा। इसके अतिरिक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग भी सीजीसीआर/एजीटी अधिनियम के तहत एक माह के भीतर करों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। ये उद्योग कच्चे माल के परिवहन और तैयार उत्पादों पर कर की अदायगी करते हैं।

राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित बनाएगा कि रेट कॉन्ट्रेक्ट आधार पर सीमेंट की सरकारी आपूर्ति पर्याप्त मात्र में सुनिश्चित हो और खुले बाजार में सीमेंट की कीमतों से संबंधित तिमाही रिपोर्ट भेजी जाए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग थोक विक्रेताओं अथवा डीलरों द्वारा निर्धारित दरों के मुकाबले परचून विक्रेताओं द्वारा वसूली जा रही दरों पर नजर रखने के लिए कदम उठाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपायुक्त सरकारी सीमेंट की पर्याप्त आपूर्ति की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे, ताकि सीमेंट की कमी के कारण सरकार के विकासात्मक कार्यों में कोई रूकावट पैदा न हो।

बैठक में उद्योग विभाग के निदेशक राजेश शर्मा, हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक आर. सेलवम, निदेशक परिवहन डा. सुनील चौधरी, अतिरिक्त कन्ट्रोलर ऑफ स्टोर अनुपम कश्यप व आबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त के.के. शर्मा भी उपस्थित थे।

श्री वीरभद्र सिंह
माननीय मुख्य मंत्री, हि.प्र.

बेरोज़गार युवाओं का सहारा बन रही
कौशल विकास भत्ता योजना

- पात्र युवाओं को ₹1000 प्रतिमाह
- 50% विकलांगों को ₹1500 प्रतिमाह भत्ता दो वर्ष के लिए देय

पात्रता के लिए आवश्यकता –

- हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी, रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत,
- आयु 16–35 वर्ष, न्यूनतम 8वीं पास,
- पारिवारिक वार्षिक आय दो लाख से कम • बेरोज़गारी का शपथ–पत्र,
- किसी सरकारी, निजी रोज़गार या स्वरोज़गार में न हो,
- भारत में कहीं, किसी भी कौशल विकास पाठ्यक्रम में नामांकित,
- मिस्त्री/बढ़ई/लोहार/प्लम्बर के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं

योजना के अंतर्गत अब तक
1,62,615 युवा लाभान्वित

सुपुत्र श्री भगवन्त सिंह
गांव– शिलड़, डा. जमटा
तहसील– नाहन, जिला– सिरमौर

"मैंने बारहवीं पास की, फिर लगा जीवन में आगे बढ़ने के सब रास्ते बंद हैं। दोस्तों से मुझे कौशल विकास भत्ता योजना का पता चला। आई.टी.आई. में दाखिला लिया, यहां आकर ही मुझे पता चला कि कौशल विकास, मतलब किसी भी हुनर का विकास करके, हम कैसे जीवन में आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं खुश इसलिए हूं कि मेरे हुनर को निखारने के लिए सरकार हर महीने 1000/– रुपये की सहायता दे रही है। सचमुच यह योजना मेरे और मेरे जैसे हजारों बेरोज़गार युवाओं के लिए ज़िन्दगी में आगे बढ़ने का सहारा बन गई है।

ओम प्रकाश
मो. : 98058.20470

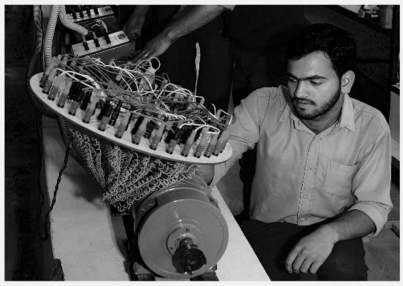

अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम रोज़गार कार्यालय या निदेशालय, श्रम एवं रोज़गार में
0177–2624209 पर सम्पर्क करें या log on करें www.himachal.nic.in/ employment या lep-hp@nic.in पर ई–मेल करें

हुनर में आया निखार – खुले रोज़गार के द्वार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

ब्रिगेड के पूर्व अध्यक्ष ने दागा सुक्खु के खिलाफ मानहानि मामला

वीरभद्र ब्रिगेड बना अब हिमाचल वीर कल्याण समिति

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस में सबकुछ अच्छा नहीं चला रहा है इसका प्रमाण जय हिमाचल वीर कल्याण समिति के गठन के रूप में सामने आया है। क्योंकि इससे पूर्व जब प्रदेश कांग्रेस सेवादल के पूर्व चीफ बलदेव सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कांग्रेस के कुछ सक्रिय कार्यर्ताओं ने वीरभद्र ब्रिगेड का गठन किया था। तब इस गठन को कांग्रेस के भीतर पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया गया था। इसके लिये कुछ लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित तक कर दिया गया था। पार्टी के भीतर इस ब्रिगेड के गठन को वीरभद्र द्वारा अपरोक्ष में समानान्तर संगठन खड़ा करने का प्रयास माना गया था। लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिक्रियाएं समाने से पहले ही ब्रिगेड को भंग कर दिया गया था। ब्रिगेड भंग होने के बाद इससे जुड़े जिन नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई की गयी थी उसे वापिस ले लिया गया था। लेकिन किन्ही कारणों से इसके अध्यक्ष बलदेव सिंह ठाकुर के खिलाफ कारवाई वापिस नही ली गयी। बलेदव ठाकुर ने इस एकतरफा कारवाई के खिलाफ आवाज उठाई और प्रदेश प्रभारी अंबिका सोनी के दरबार तक मैं फरियाद रखी। सूत्रों के मुताबिक अंबिका सोनी ने इस एकतरफा कारवाई को अनुचित ठहराते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुक्खु को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा जो कि नही हुआ।

अब सुक्खु की एकतरफा तानाशाही कारवाई से आहत होकर ब्रिगेड से जुड़े लोगो ने विधिवत एक एनजीओ जय हिमाचल वीर कल्याण समिति का गठन घोषित कर दिया है। इस एनजीओ का पंजीकरण 17.8.16 को करवाया गया हैं एनजीओ के गठन से हटकर ब्रिगेड के अध्यक्ष रहे बलदेव ठाुकर ने अपने निष्कासन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु के खिलाफ सीजेएम कोर्ट कुल्लु में एक मानहानि का मामला भी दायर कर दिया है। मानहानि का मामला दायर करते हुए स्पष्ट लिखा है। The Plaintiff along with others framed a NGO named Virbhadra Singh Brigade, Himachal Pradesh for spreading the policies of the Present Government of congress Party and Virbhadra Singh who is a living legend and has been the Chief Minister of H.P. for a record number of 6 times.

इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिगेड के गठन में वीरभद्र का पूरा आर्शीवाद ओर सहयोग इसके लोगों को प्राप्त था। ब्रिगेड का उस समय एनजीओ के तौर पर पंजीकरण नही था। अब इसके नाम मे हल्का सा परिवर्तन करते हुए इसका विधिवत पंजीकरण करना लिया गया है। यह एनजीओ घोषित रूप से पूरी तरह गैर राजनीतिक है। इस नाते इसमें हर राजनीतिक संगठन और विचार धारा से जुड़े लोग शामिल हो सकते है और मूल संगठन इन लोगों के खिलाफ पहले की तरह से कोइ अनुशासनात्मक कारवाई भी नहीं कर पायेगा। एक तरह से यह एनजीओ हर विरोध और विद्रोह को मुखरता प्रदान करने का मंच बन जायेगा। इस समय इसका गठन पूरी तरह राजनीतिक शैली में ही किया गया है यह दावा भी किया गया है कि इसमें आने वाले दिनो मे सक्रिय राजनीति से जुड़े लोग शामिल होंगे। इस एनजीओ से जुड़े लोग अलग से किसी भी राजनीतिक दल के तहत चुनाव लड़ने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे। ऐसे मे इस एनजीओ को यदि वीरभद्र की ओर से एक अलग राजनीतिक मंच प्रारूप में देखा जाये तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

इस समय वीरभद्र जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं उसमे उनकी पहली आवयश्यकता कांग्रेस संगठन पर कब्जा करना हो जाती है। इसके लिए हर संभव प्रयास करके सुक्खु को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाना हो जाता है। इस नवगठित एनजीओ के अध्यक्ष और उनके साथियों ने भी इसी आश्य से सुक्खु को अब तक का सबसे कमजोर प्रदेश अध्यक्ष करार दिया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस एनजीओ के माध्यम से वीरभद्र ने सुक्खु के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। सुक्खु के खिलाफ जब भाजपा नेताओं ने बेनामी संपत्ति के आरोप लगाये थे तो कांग्रेस में विद्यास्टोक्स और जी एस बाली जैसे वरिष्ठ मन्त्री उसके बचाव में आ गय थे। अब जब सुक्खु के खिलाफ अपरोक्ष में वीरभद्र ने मोर्चा खोल दिया है तो कौन नेता उसके बचाव में आता है यह देखने वाला होगा।

इस एनजीओ के मुख्य सलाहकार पूर्व विधायक कश्मीर सिंह ठाकुर बनाये गये है और मुख्य कानूनी सलाहकार बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष नरेश सूद है। उपाध्यक्ष देवी सिंह पाल और मनभरी देवी बने है। महामन्त्री दीपक शर्मा, विजय डोगरा और अनुराग शर्मा, सहसचिव करतार सिंह चौधरी, खुशीराम भूरिया और विजय ठाकुर है। आत्मा राम ठाकुर को हमीरपुर और चन्द्र बल्भ नेगी को कुल्लु का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन का विस्तार शीघ्र किये जाने का दावा किया गया है।

अब विनय शर्मा ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर लगाया 125 करोड़ के घपले का आरोप

शिमला/शैल। वीरभद्र सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ आय से अधिक और बेनामी संपत्ति के आरोप लगाये थे। बल्कि इन आरोपों से पहले उन्होने एचपीसीए के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाये थे और इन आरोपों को लेकर सीआपीसी की धारा 156(3) के वह अदालत में गये थे। उसी के बाद एचपीसीए के खिलाफ

मामले दर्ज होने का क्रम शुरू हुआ था। एचपीसीए पर आरोप लगाने के बाद विनय शर्मा ने वीरभद्र की विजिलैन्स के पास धूमल की संपत्तियों को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन विजिलैन्स अभी तक इस शिकायत पर एफआई आर दर्ज करने लायक कोई ठोस आधार नही जुटा पायी है और न ही विनय शर्मा अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिये कुछ कर पाये है। वैसे यह आरोप लगाने के बाद ही वीरभद्र ने विनय को डिप्टी एजी लगाया था।

अब जब क्रिकेट प्रबन्धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी गठित की और इस कमेटी की सिफारिशें सामने आयी तब इन सिफारिशों को अक्षरश: मानने के लिये बीसीसीआई तैयार नही हुई। सिफारिशों को लेकर लोढ़ा कमेटी और वीसीसी आई में गंभीर मतभेद हो गये वीसीसी आई न सिफारिशों को मानने से इन्कार करते हुए इसमें रिव्यू दायर करने का स्टैण्ड ले लिया । सर्वोच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए वीसीसी आई से विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में आये इस शपथ पत्र से यह भी सामने आया कि वीसीसीआई ने पिछले पांच वर्षों में एचपीसीए को 125 करोड़ रूपेय आंबटित किये है। इसी दौरान राजस्थान क्रिकेट ऐसोसियेशन के विवादित अध्यक्ष ललित मोदी के टवीट्स सामने आ गये जिनमें अनुराग ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाये गये है। ललित मोदी को लेकर सुषमा स्वराज और वसुन्धरा राजे भी विवादों में रह चुकी है।

इस तरह शपथ पत्र के माध्यम से सामने आये 125 करोड़ के आंकड़े और ललित मोदी के टवीट्स को आधार बनाकर वीरभद्र के डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा ने एसपी कांगड़ा को अनुराग ठाकुर के खिलाफ 125 करोड़ रूपेय को लेकर घपले का आरोप लगाते हुए शिकायत भेजकर जांच की मांग की है। विनय की इस शिकायत पर वीरभद्र सिंह ने एसपी कांगड़ा को ब्रीफ करके कुछ निर्देश भी दिये है। इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष बुटेल, विधायक संजय रत्न और यादविन्दर गोमा के अतिरिक्त डीसी कांगड़ा भी मोजूद रहे है। क्रिकेट जैसी संस्था में पांच वर्षों में 125 करोड़ खर्च किये जाने को क्रिकेट के जानकार बहुत बड़ी रकम नहीं मानते है। फिर ललित मोदी के टवीट्स का आधार भी स्पष्ट नही है और ललित मोदी काफी अरसे से विवादित होने के बाद देश से बाहर हैं ऐसे में वीरभद्र की पुलिस इस शिकायत पर क्या कर पाती है इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा। क्योंकि विनय शर्मा ने एचपीसीए और प्रेम कुमार धूमल की संपत्तियों को लेकर जो शिकायतें की थी उनके भी कोई ठोस परिणाम अब तक सामने नहीं आये हैं अब इस शिकायत पर भी यही माना जा रहा है कि इसको लेकर भी अनुराग ठाकुर और धूमल को राजनीतिक तौर पर घेरने का ही प्रयास किया जायेगा। ऐसे आरोपों से विनय शर्मा और वीरभद्र सिंह की बेचारगी ज्यादा झलक रही है। विनय शर्मा की शिकायत यह है।

माननीय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
जिला काँगड़ा स्थित धर्मशाला

विषय: अनुराग ठाकुर के खिलाफ भ्रष्टाचार, मैच फिक्सिंग और 125 करोड़ के घपले और बंदरबांट की मामला दर्ज करके जाँच के लिए शिकायत पत्र

महोदय,

अनुराग ठाकुर वर्तमान में क्रिकेट बोर्ड और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और हमीरपुर से सांसद। राज्यस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष और IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने ट्वीट करके अनुराग ठाकुर पर आरोप लगाया है की वो ओरिजिनल फिक्सर हैं और उन्होंने एक रणजी मैच खेलने के अलावा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड का धन लूटा है।

"just like N.Srinivasan, anurag thakur, the noose needed arround your neck is about to be executed.U are the original fixer as i have said"
"to play for HP one match of Ranji nothing except loot on wealth i have created for BCCI"
..... lalit modi

यह गंभीर आरोप हैं। क्योंकि अप्रैल 2015 में अनुराग ठाकुर की एक तस्वीर एक बुकी के साथ दिखी थी जिसमे वो उस बुकी को केक खिला रहे थे।

22 अप्रैल 2015 को ICC (International cricket council) के C.E.O.Dave Richardson ने तत्कालीन BCCI के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया को एक मेल भेजकर तत्कालीन BCCI के सचिव अनुराग ठाकुर और उस बुकी के सम्बंधों की जांच करने को कहा था क्योंकि वो बुकी ICC की Anti corruption and Security unit (ACSU) की राडार पर एक साल से था। तत्कालीन BCCI अध्यक्ष क्योंकि अनुराग ठाकुर के करीबी थे इसलिए कोई भी जांच नहीं हुई। लेकिन अनुराग ठाकुर के उस बुकी के साथ सम्बंधों की पोल खुल गयी।

धर्मशाला में चेन्नई की टीम के कम से कम दो मैच खेले गए हैं। Chennai super king (CSK) की टीम पर भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे और उसको आईपीएल से बाहर कर दिया गया है। उसके मालिक गुरुनाथ मयप्पन को जेल की हवा खानी पड़ी थी वहीं मैच फिक्सिंग के एक और आरोपी S.Srisanth भी धर्मशाला में किंग्स एलेवेन पंजाब की तरफ से खेल चुके हैं। अनुराग ठाकुर भी इन मैचों के दौरान धर्मशाला रहे हैं इसलिए मैच फिक्सिंग के उन पर जो ताजा आरोप ललित मोदी ने लगाये हैं उनको मध्यनजर रखते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाये और आरोपियों पर मामला दर्ज हो।

BCCI द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किये गए हलफनामे के साथ सलग्न की गयी BCCI की बैलेंस शीट के अनुसार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को पिछले पांच वर्ष में 125 करोड़ रूपये के लगभग दिए गए हैं। यह पैसा कहाँ खर्च हुआ इसकी भी जांच की जाये। क्योंकि ललित मोदी के ट्वीट से यह साफ है की अनुराग ठाकुर ने BCCI के पैसों से अपनी जेब भरी है तो उसको मध्यनजर रखते हुए इस मामले को भी ऊपर लिखे तथ्यों के साथ जोड़कर मामला दर्ज करके जांच की जाये।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है की BCCI एक पब्लिक संस्था है इसलिए सार्वजनिक संस्था द्वारा दिए गए पैसों में हेराफेरी क्रिमिनल offence के अंतर्गत आता है।

विनय शर्मा, एडवोकेट
गर्ग कॉलोनी घुरकड़ी कांगड़ा
वर्तमान में